उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1

संख्या–1788(1)/XVIII(1)/2021-04(01)/2017
देहरादूनः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2021

मा0 मंत्रिमण्डल के आदेश संख्या 4/2/XII/XXI/2021–सी0 एक्स0 दिनांक 31 मई, 2021 के अनुपालन के क्रम में राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–1788, दिनांक–14.12.2021 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2021 को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियाँ राजस्व अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,
(रविनाथ रमन)
सचिव।

U.O.Letter

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या–1788/XVIII(1)/2021-04(1)/2017
देहरादूनः दिनांकः 14 नवम्बर, 2021
दिसम्बर

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड, राजस्व परिषद्, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2021

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम '' **उत्तराखण्ड, राजस्व परिषद्, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली, 2021**'' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा एक राज्यधीन सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से ''आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्'' उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के भाग–।। के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है,

(ग) ''आयोग'' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, अभिप्रेत है,

(घ) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(ङ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,

(च) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमावली/आदेश या इस नियमावली या आदेशों के अधीन सेवा सवंर्ग में स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा अभिप्रेत है,

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो,

(ण) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों की स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जायं, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–1 में दी गयी है:

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित रख सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

या

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग तीन– भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

समीक्षा अधिकारी–

(1) (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,

(2) **सहायक समीक्षा अधिकारी** –

(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वाराः

आरक्षण

6. सेवा के पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो और अन्य श्रेणी के अभ्युर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत सरकारी नियमों एवं आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएँ

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए :–

	पद	अर्हता
(1)	समीक्षा अधिकारी	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। **(दो)** कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है। **(तीन)** कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
(2)	सहायक समीक्षा अधिकारी	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। **(दो)** कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है।

(तीन) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

अधिमानी अर्हता 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने –
(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

अनिवार्य / वांछनीय अर्हता 10. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदो के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 (समय–समय पर सथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार होगी ।

आयु 11. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे,
नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र न होगें:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

14. (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शाररिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्वक निवर्हन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है।

(2) सेवा में अन्य पदो के मानकों में वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड दो भाग तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है,

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 06 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र मगांयेगा। आवेदन पत्र, भुगतान कर, आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी

द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी–जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में अधिक अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003(समय समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जायेगी।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली 2013 के प्रावधान लागू होंगे। समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठाता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों प्रकार से की जाती हैं संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता निर्धारण

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों स्रोतों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न की गयी हो।

(3) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाय या जैसा उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति

दोनों स्रोतों से की जायं तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामलों में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ायी गयी है, अवधि बढा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगें:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढायी गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नही हैं, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति अधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा जो उस विशिष्ट संवर्ग में सम्मिलित किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

21. (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि––

(क) विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई है उत्तीर्ण कर ली है।

(ख) विहित प्रशिक्षण यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।

(ग) उसका कार्य व आचरण सन्तोषजनक बताया गया है।

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उक्त

नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22. किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन आदि

वेतनमान 23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट–1 में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को प्रथम वेतन वृद्धि तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसने कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की न्यूनतम गति प्राप्त न कर ली हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा है, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का 26. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली

विनियमन		या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
सेवा की शर्तों में शिथिलता	27.	जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्त्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है: परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।
व्यावृत्ति	28.	इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

Raman

(रविनाथ रमन)

सचिव।

परिशिष्ट–1

{नियम 4 (2) और 23 (2) देखिए}

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	समीक्षा अधिकारी	9300–34800	8	15
2.	सहायक समीक्षा अधिकारी	9300–34800	7	11

आज्ञा से,

(रविनाथ रमन)
सचिव।